न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./430/2003/गंगानगर

रेवन्तराम पुत्र मूलाराम कुम्हारनिवासी हरीसिंहपरा तहसील सूरतगढ जिला गंगानगर

—अपीलांट

बनाम

1— देवीलाल पुत्र हिडमल हरीजन निवासी शेरगढ तहसील सांगरिया जिला हनुमानगढ

2—राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार विजय नगर ।

——रैस्पोडेंटस

एकल पीठ
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः—

श्री यज्ञादत्त शर्मा अभिभाषक प्रार्थी।

श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः17.9.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1—10—02 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 7 एमसी के मु. नं. 38/56 के कि0नं0 1 से 4, 6 से 25 की 24 बीघा भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या एक देवीलाल को किया गया जिसके विरुद्ध अपीलांटने प्रथम अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश की जो उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 1—10—02 को खारिज कर दी जिससे व्यथित जहोकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3— अपील पर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

4— विद्वान अभिभाषक अपीलांट की मुख्य बहस यह है कि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों का अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में , रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किये गये है। यह कि आवंटन नियमों के अनुसार अस्थाई काश्त पर

आवंटित व्यक्ति को ही पुखता आवंटन किया जाना चाहिए। विवादित आराजी अपीलांट को अस्थाई काश्त पर आावंटित थी फिर भी विपक्षी को गैरकानूनी रुप से पुख्ता आवंटन कर दिया गया इस बिन्दु पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी कोई गौर नही किया है। अन्त में अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1–10–02 एवं अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया। गया।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से अपीलाधीन निर्णय को, उचित व कानून सम्मत बताते हुए हस्तगत अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6– दोनो पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो हम यह पाते है कि रेस्पोडेंट देवीलाल को दिनांक 20–10–83 को विवादित आराी लौटरी द्वारा आवंटन होना तय हुआ। इस आवंटन के विरुद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर के समक्ष दिनांक 22–7–97 को पेश हुई। अपील में मुख्य आधार यह लिया गया कि यह भूमि अपीलांट को सन 1974 में बतौर अस्थाई काश्त पर आवंटित हुई थी जिसका नवीनीकरण हर साल होता रहा है। कब्जा काश्त अपीलांट का है। तथा उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ की अदालत में पुख्ता आवंटन का प्रार्थनापत्र संख्या 91/97 लम्बित है। विद्वान अपील अधिकारी द्वारा अपील को मियाद बाहर मानते हुए एव गुणावगुण पर खारिज किया है।निगरानीके साथ निगराकार ने अपने पक्ष में किसी प्रकार के अस्थाई आवंटन आदेश की प्रति पेश नही की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर भी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में प्रकरण संख्या 21/89 दिनांक 23–6–97 की आदेशिका की सत्य प्रति की फोटो प्रति सलग्न है। परन्तु इस आदेशिका के अवलोकन से यह अनुमान नही लगाया जा सकता कि रेवतराम /अपीलांट को खसरा नंबर 71 अकृषिट पटटे पर आवंटन हुआ हो। जहॉ तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर होने के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नरम रुख अपनाये जाने की इश्तदुआ निगरानी के माध्यम से किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने के सम्बन्ध में हमारी यह सुविचारित राय है कि अपील 14 वर्ष बाद पेश की गयी थी और पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने का माध्यम बताया गया है उसका भी शपथ पत्र या उनके द्वारा अपीलांट को जानकारी देने का प्रयोजन सुस्पष्ट नही होने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा

अपील को मियाद बाहर माने के बारे में दिये गये विनिश्चि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही बनता है। परिणामस्व हस्तगत निगरानी खारिज योग्य है।

6— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है। राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1—10—2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरज भान जैमन)

सदस्य